न्यायालय जिला कलेक्टर, दौसा

पीठासीन अधिकारी—देवेन्द्र कुमार
आई0ए0एस0

नामा0 अपील सं0 30/2017

1. प्रभूदयाल पुत्र गोपाल जाति मीना निवासी रूढमल का बास तहसील दौसा जिला दौसा
2. जगदीश पुत्र गोपाल जाति मीना निवासी रूढमल का बास तहसील दौसा जिला दौसा

..अपीलांट्स

बनाम

1. राधाकिशन पुत्र श्रवण
2. रामकिशोर पुत्र श्रवण
3. हेमराज पुत्र श्रवण
4. बरदी बेवा श्रवण
   समस्त जाति मीना निवासी रूढमल का बास तहसील दौसा जिला दौसा
5. राजस्थान सरकार द्वारा तहसीलदार तहसील दौसा जिला दौसा

..रेस्पो0

Web Copy - Not Official

अपील विरुद्ध नामान्तरण आदेश योग्य अधीनस्थ तहसीलदार दौसा दिनांक 8.10.2001 बनामान्तरण सं0 163 ग्राम रूढमल का बास तहसील दौसा अंतर्गत धारा 75 भू राजस्व अधिनियम ।

उपस्थित—1. श्री ब्रजमोहन गौड, अधिवक्ता अपीलांट्स की ओर से
2.श्री विनोद विजय, अधिवक्ता रेस्पों0 सं0 1 से 04
3. श्री राजेश कुमार शर्मा राजकीय अधिवक्ता,

निर्णय दिनांक: 30.05.2025

1. संक्षिप्त वृतांत अपील इस प्रकार है कि तहसीलदार, दौसा द्वारा दिनांक 8.10.2001 को ग्राम रूढमल का बास का नामान्तरण सं0 163 से व्यथित होकर अपीलांट्स द्वारा यह अपील प्रस्तुत की गई है।
2. अपील दर्ज रजिस्टर की गई। रेस्पोडेन्ट को तलब किया गया। अधीनस्थ न्यायालय का मूल अभिलेख मंगवाया गया। उभयपक्ष अधिवक्तागण की बहस सुनी गई।
3. सर्वप्रथम दफा 5 कानून मियाद के प्रार्थना पत्र पर बहस सुनी गई। अधिवक्ता अपीलांट ने बहस में दलील दी कि अपीलांट को व अपीलांट के पिता को उक्त नामान्तरण तस्दीक करते वक्त सुनवाई का कोई नोटिस नहीं दिया गया व सुनवाई व सबूत का अवसर नहीं दिया। उक्त नामान्तरण का अपीलांट को पूर्व में कभी पता नहीं चला। रेस्पों0 नं0 2 दिनांक 16.5.2016 को यह कहने लगा कि उक्त भूमि के व्यवस्थापक का नामान्तरण मेरे पिता के नाम से पूर्व में ही हो चुका है। जिस पर उसी दिन दौसा आकर राजस्व रिकार्ड में उक्त नामान्तरण के बारे में मालुम किया जिस पर नामान्तरण की प्रमाणित प्रतिलिपि लेने हेतु आवेदन करने पर प्रति दिनांक 24.5.2016 को मिली है। इस प्रकार इल्म से यह अपील अंदर मियाद पेश है। चूंकि नामान्तरण अपीलांट के [illegible] के [illegible] पीठ से एब इन इश्यू वाईड व शून्य व क्षेत्राधिकार के बाहर तस्दीक किया गया है [illegible] की [illegible]ल के लिए कोई मियाद नहीं होती है, फिर भी रफाये हुज्जत के लिए [illegible] आवेदन पत्र के साथ उक्त अपील जानकारी से अंदर मियाद पेश की जा रही है अतः अपील अंदर [illegible] शुमार फरमाई जाकर देरी को माफ किया जावे। राजकीय अधिवक्ता एवं अधिवक्ता [illegible] सं0 1 से 4 ने बहस में कथन किया कि अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील अत्यधिक विलंब से पेश की गई है। अपीलांट को उक्त नामान्तरण की पूर्व से जानकारी थी। अतः अपील मियाद के बिन्दु पर

Signature Not Verified
Digitally signed by Devendra Kumar
Date: 2025.10.01 11:42:19 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलेक्टर,दौसा

खारिज फरमाई जावे। उभयपक्ष अधिवक्ता की दफा 5 कानून मियाद के बिन्दु पर सुनी गई बहस पर मनन किया गया। प्रा0पत्र एवं शपथ पत्र का अवलोकन किया गया। अपीलांट द्वारा अपील जानकारी से अंदर मियाद पेश की गई है। डिले कन्डोन किया जाकर अपील की सुनवाई किया जाना न्यायोचित है। अतः धारा 5 कानून मियाद स्वीकार किया जाता है।

4. तत्पश्चात मूल नामान्तरण अपील पर बहस सुनी गई।

5. अधिवक्ता अपीलांट ने अपील मीमों में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि अधिनस्थ तहसीलदार दौसा जिला दौसा द्वारा पारित प्रश्नगत आदेश दिनांक 8–10–2001 विधि प्रक्रिया, नियम, तथ्य एवम न्याय के सामान्य सिद्वान्तो के विपरीत पूर्व पारित नामान्तरण आदेश दिनांक 19–12–94 की अनदेखी कर पारित किये जाने के कारण खण्डनीय है। प्रश्नगत नामान्तरण आदेश दिनांक 18–10–2001 से पूर्व प्रत्यर्थीगण के नाम नामान्तरण संख्या 20 आराजी खसरा नम्बर 177 रकबा 1.29 है0 भूमि वाके ग्राम रूढमल का बास तहसील दौसा के संबंध में पटवारी हल्का द्वारा भरा गया जिस पर दिनांक 14–3–93 ई० को भू अभिलेख निरीक्षक ने रिकॉर्ड में कब्जे की पुष्टि के साथ पेश हो, टिप्पणी अंकित की। पुनः दिनांक 16–8–93 आवंटन रिकॉर्ड में पेश हो, नोट अंकित किया गया। दिनांक 26–9–94 को पटवारी हल्का ने नोट अंकित किया व दुबारा जांच की गई। राधाकिशन व श्रवण को अलग अलग तारीखो में आवंटन हुआ है। राधाकिशन के पिता की वल्दीयत भी नही मिलती है अतः काबिले खारिज है। दिनांक 24–8–93 को पट्टा पेश करे, टिप्पणी अंकित हुई। दिनांक 20–5–94 ई० को जांच की गई। मौके पर राधाकिशन पुत्र नारायण नाम का कोई व्यक्ति नही है। राधाकिशन पुत्र श्रवण मीना मौजूद है। राधाकिशन का आवंटन व श्रवण का आवंटन अलग अलग तारीखो में हुआ परन्तु खाता शामिल कर रखा है स्थिति सन्देहास्पद है अतः खारिज योग्य है। उक्त जांच प्रतिवेदनो के बाद अधिनस्थ तहसीलदार द्वारा नामान्तरण संख्या 70 दिनांक 17–12–94 ई० को निरस्त फरमा दिया गया। नकल नामान्तरण प्रस्तुत है अतः पूर्व में इसी आराजी के संबंध में नामान्तरण निरस्त होने के बाद पुनः दूसरा नामान्तरण जाना भरा अनियमित एवम अनुचित कार्यवाही है। पटवारी हल्का ने प्रत्यर्थीगण संख्या एक व दो के नाम दिनांक 8–10–01 को पुनः नामान्तरण इसी आराजी खसरा नम्बर 177 रकबा 1.29 है0 का आवंटी द्वारा आवंटन शर्तो की पालना की है, मौके पर कब्जा है, नोट अंकित कर नामान्तरण संख्या 163 भरा गया। इसी दिन भू अभिलेख निरीक्षक द्वारा जांच की गई। आवंटी द्वारा आवंटन शर्तो की पालना की गई स्वीकार योग्य है नोट अंकित कर दिया गया। एवम तहसीलदार ने बिना जांच दिनांक 8–10–01 को भी नामान्तरण स्वीकार है, आदेश पारित कर दिया। इस प्रकार राजस्व विभाग में कर्मचारीगण पटवारी हल्का भू अभिलेख निरीक्षक एवम तहसीलदार पारित आदेश स्वमेव सन्देहास्पद एवम पक्षपातपूर्ण प्रमाणित है। नामान्तरण विधिक कार्यवाही है, जिसके आधार पर राजस्व अभिलेख में अंकन होता है। प्रश्नगत नामान्तरण आदेश 8–10–01 में इसी भूमि के संबंध में प्रत्यर्थीगण के नाम पूर्व में भरे गये नामान्तरण संख्या 60 उस पर की गई जांच एवम पारित आदेश के तथ्य को पटवारी भू अभिलेख निरीक्षक ने छिपाकर तहसीलदार से नामान्तरण तस्दीक कराया है। सारी कार्यवाही एक ही दिन में सम्पन्न की गई है। प्रश्नगत नामान्तरण आदेश में राजस्व कर्मचारीगण की संलिप्तता, उनका आचरण संदेहास्पद है। नामान्तरण आदेश ... होने के कारण निरस्तनीय है। प्रश्नगत नामान्तरण आदेश से पूर्व नामान्तरण संख्या 70 जो बाद जांच दिनांक 17–12–94 ई0 को निरस्त हुआ था में जांच ... नामान्तरण के आवंटन आदेश प्रत्यर्थी संख्या एक के पिता के नाम ... (फाल्स परसोनेशन) विभिन्न तिथियो में प्रत्यर्थीगण संख्या एक व दो के नाम आवंटन आदेश संयुक्त रूप से नामान्तरण अंकित अनियमित अवैध एवम धोखाधडी पूर्ण कार्यवाही के तथ्यो के कारण नामान्तरण खारिज होने

Signature Not Verified
Digitally signed by Devendra Kumar
Date: 2025.10.01 11:42:19 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलेक्टर,दौसा

पर पुनः दिनांक दिनांक 8—10—01 को प्रश्नगत नामान्तरण तस्दीक किये जाने की कार्यवाही अवैध अनियमित होने के कारण निरस्तनीय है। प्रश्नगत नामान्तरण एवम पूर्व नामान्तरण में आराजी अंकित नामान्तरण में प्रत्यर्थी संख्या एक का हिस्सा 86/158 एवम प्रत्यर्थी संख्या दो का हिस्सा 72/158 अंकित किया गया है, जबकि नामान्तरण प्रत्यर्थी संख्या एक व दो के नाम भिन्न भिन्न तिथियो में होना अंकित किया गया है अतः विचारणीय प्रश्न है कि भिन्न भिन्न आवंटीयो के नाम भिन्न भिन्न तिथियो में यदि आवंटन आदेश पारित हुआ तो नामान्तरण कैसे खोला गया। प्रत्यर्थीगण ने राजस्व कर्मचारियो से मिलकर प्रश्नगत नामान्तरण आदेश तथ्यो को छिपाकर एवम धोखाधडी कर तस्दीक कराया है, जो खण्डनीय है। प्रत्यर्थीगण संख्या एक व दो पुत्र एवम पिता है। प्रतिवादी संख्या एक ने अपने पिता का नाम नारायण बताकर छदम प्रतिरूपेण कर नामान्तरण भरवाकर तस्दीक कराया है। प्रत्यर्थीगण के नाम नामान्तरण होना भी संदेहास्पद है, जिसके संबंध में नामान्तरण संख्या 60 की कार्यवाही जांच होकर नामान्तरण निरस्त होने का आदेश पारित होने के बाद राजस्व कर्मचारियो ने असत्य एवम निराधार तथ्यो का समावेश कर पश्चातवर्ती नामान्तरण की कार्यवाही एक ही दिन में कर पारित किया । प्रश्नगत आदेश खण्डनीय है। राधाकिशन के नाम का जो आवंटन हुआ था वह निरस्त हो चुका है। अपीलांट की खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 175 का 17 ऐयर भू भाग प्रत्यर्थीगण ने आराजी खसरा नम्बर 177 में मिलवाकर नामान्तरण खुलवाया है, अतः अपीलांट्स व्यथित पक्षकार है। अतः अपील अपीलांट्स स्वीकार फरमाई जाकर प्रश्नगत नामान्तरण दिनांक 8—10—01 निरस्त फरमाया जावे।

6. अधिवक्ता रेस्पों0 सं0 1 से 4 ने बहस में कथन किया कि पटवारी हल्का के द्वारा प्रश्नगत नामान्तरण गैर खातेदारी से खातेदारी का विधिवत रूप से भरा गया है जिसको भू अभिलेख निरीक्षक द्वारा बाद जांच तहसीलदार दौसा के द्वारा तस्दीक किया गया है। अपीलांट द्वारा गलत आधारों पर यह अपील प्रस्तुत की गई है जिसे निरस्त फरमाई जावे।

7. राजकीय अधिवक्ता ने बहस में कथन किया कि तहसीलदार दौसा द्वारा पारित अपीलाधीन नामान्तरण विधिवत रूप से पारित किया गया है। अपील अपीलांट्स निरस्त फरमाई जावे।

8. हमने पत्रावली का अवलोकन किया। बहस उभयपक्ष अधिवक्ता पर मनन किया गया।

9. पत्रावली के अवलोकन से यह ज्ञात होता है कि जब तहसीलदार दौसा द्वारा दिनांक 17.12.1994 को नामान्तरण सं0 60 द्वारा राधाकिशन पुत्र नारायण के नाम से दर्ज गैर खातेदारी से खातेदारी किये जाने के नामान्तरण को जांच उपरांत निरस्त कर दिया गया था तो पुनः उन्हें दिनांक 8.10.2001 को इसी प्रकरण एवं इसी विवादित आराजी में गैर खातेदार से खातेदार के नामान्तरण को स्वीकृत करने के अधिकार नहीं थे। संबंधित पीडित पक्षकारान को तहसीलदार द्वारा दिये गये आदेश दिनांक 17.12.1994 के विरूद्ध सक्षम न्यायालय में अपील प्रस्तुत कर निर्णय करवाया जाना चाहिए था।

10. दिनांक 17.12.1994 को पारित तहसीलदार दौसा के नामान्तरण सं0 60 में दिनांक 20.5.1994 को की गई टिप्पणी अवलोकेनीय है जिसमें यह अंकित किया गया है कि मौके पर जांच की गई। राधाकिशन पुत्र नारायण नाम का कोई व्यक्ति नहीं है एवं राधाकिशन पुत्र श्रवण मौके पर मौजूद है। न्यायालय जिला कलक्टर दौसा के प्रकरण सं. 8/2001 निर्णय दिनांक 29.9.2001 अवलोकनीय है जिसमें न्यायालय द्वारा यह निष्कर्ष निकाला गया है कि अप्रार्थी (राधाकिशन पुत्र नारायण) के पक्ष में दिनांक [illegible] को भूमि आवंटित की गई थी तब आवंटी केवल 6 वर्ष का था। आवंटी श्रवण पुत्र [illegible] जो कि सरकारी नौकरी में थे। आवंटी द्वारा प्रकिया में फ्रॉड एवं मिसरिप्रेजेन्टेशन से किया गया है। अतः आवंटन निरस्त योग्य है। इसके उपरांत भी तहसीलदार दौसा द्वारा इस आदेश की पालना न करते हुए दिनांक 8.10.2001 को आवंटी की गैर खातेदारी से खातेदारी दर्ज कर दी।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

Signature Not Verified
Digitally signed by Devendra Kumar
Date: 2025.10.01 11:42:19 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलेक्टर, दौसा

11. उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट स्वीकार की जाती है। अपीलाधीन नामान्तरण सं0 163 जो कि तहसीलदार दौसा द्वारा दिनांक 8.10.2001 को पारित किया गया है, को निरस्त किया जाता है। तहसीलदार दौसा को प्रकरण इस आशय से रिमांड किया जाता है कि इस न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के आलोक में एवं अपीलांट द्वारा उठाई गई आपत्तियों को मध्यनजर रखते हुए पक्षकारान को सुनवाई व साक्ष्य का अवसर प्रदान करते हुए पुनः विधिसम्मत निर्णय पारित करें। अधीनस्थ न्यायालय का मूल अभिलेख निर्णय की प्रति के साथ लौटाया जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो। बाद पूर्ति पत्रावली प्रविष्ठ लेख भंडार हो।

(देवेन्द्र कुमार)
जिला कलेक्टर, दौसा

निर्णय आज दिनांकः 30 मई, 2025 को लिखवाया जाकर मेरे हस्ताक्षरित एवं न्यायालय की मुद्रांकित खुले न्यायालय सुनाया गया। इस निर्णय की अपील नियम समयावधि के अंदर सक्षम न्यायालय में की जा सकेगी।

(देवेन्द्र कुमार)
जिला कलेक्टर, दौसा

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

Signature Not Verified

Digitally signed by Devendra Kumar
Date: 2025.10.01 11:42:19 IST
Reason: SelfAttested